


**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**


अपील संख्या : 330 / 2016..... जिला : जयपुर  
 मैसर्स एलस्टोम टी एण्ड डी इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बी, जयपुर व  
 अपीलीय अधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.02.2016	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u>  <u>श्री ओ.पी.सैनी, अध्यक्ष</u>  <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.11.2015, जो अधिनियम की धारा 27(5) 55 एवं 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये पारित किया गया है, में विवादित मांग राशि रु. 1,12,06,549/- के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक (स्थगन) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने रु. 1,12,06,549/- में से रु. 65,00,000/- पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रु. 47,06,549/- पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य शेष राशि रु 47,06,549/- में से रु. 44,12,717/- को स्थगित करने का निवेदन किया है।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 1,12,06,549/- में से रु. 65,00,000/- पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रु. 47,06,549/- पर स्थगन प्रदान नहीं किया है, अवशेष राशि रु. 47,06,549/- पर स्थगन प्रदान नहीं करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2016 में अंकित नहीं किया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 44,12,717/- में से कर रु. 11,98,856/- व ब्याज रु. 7,31,302/- कुल रु. 19,30,158/- जमा कराने की शर्त पर रु. 24,82,558/- के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत</p>	

करने की शर्त पर, वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य

  
(ओ.पी.सैनी)  
अध्यक्ष